

नियमावली

१०८

1. संस्था का नाम
2. संस्था का पता
3. संस्था का कार्यक्षेत्र
4. संस्था का उद्देश्य
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

नियमावली

प्राप्ति

शोध

विस्तारण

नियमावली

Joy foul

प्राप्ति

१. सदस्यता की समाप्ति -

1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अद्यान करने पर ।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
4. किसी सदस्य के विरुद्ध $2/3$ बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताय पास होने पर ।
5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा संतुष्ट होने पर ।
6. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

श्री उदल सिंह शिक्षा समिति
38 गांधी नगर फिरोजाबाद

~~सचिव~~

13/1/18

सम्पत्ति

Shri Singh
प्रबन्धक
श्री उदल सिंह शिक्षा समिति
आसपास बाजार, ३८ गांधी नगर

२०१८

२०१८

संस्था के अंग :-

१. साधारण सभा -

- साधारण सभा
- प्रबन्धकारिणी समिति ।

गठन -

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठक -

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

सूचना अवधि -

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के $\frac{2}{3}$ बहुमत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी लिए प्रबन्धकारिणी समिति के $\frac{2}{3}$ बहुमत से तय कर ली जावेगी।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य -

- प्रबन्धकारिणी समिति का समय समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।
- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन $\frac{2}{3}$ बहुमत से करना।
- संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना।

२. प्रबन्धकारिणी समिति -

गठन - प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के $\frac{2}{3}$ बहुमत से सेंदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव एक कोषाध्यक्ष तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई - बढ़ाई जा सकती है। जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी।

बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

सूचना अवधि - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के $\frac{2}{3}$ बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

रिक्त स्थान की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक रथान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के $\frac{2}{3}$ बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए कर ली जावेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :-

- संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना।
- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन $\frac{2}{3}$ बहुमत से करना।
- $\frac{2}{3}$ बहुमत से करना।

सम्पत्ति

उद्दल

श्री उद्दल सिंह शिक्षा समिति
38 गाँधी नगर फिरोजाबाद

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों / मंत्रालयों, एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, एवं बैंक आदि से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं चैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।
5. कार्यकाल - प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य -

1. अध्यक्ष -

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
2. मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णयक मत देना।
3. संस्था के की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना।

उपाध्यक्ष:-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप में सौंपे गये स्वीकृत कार्यों को करना, सामान्य व विश्व परिस्थितियों में उनका सहयोग करना।

प्रबन्धक / सचिव -

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राधार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना।
2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व कार्यक्रमों का पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से संचालन व प्रशार-प्रसार करना।
3. संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना।
4. संस्था की आम चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान, अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना।
5. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
6. संस्था के अन्तर्गत संधालित संस्थानों, चिकित्सालयों, विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, एवं पदच्युत करना तथा उनकी संख्या शर्त के नियम बनाना, वैतन भत्ते तथा तय करना व उसका भुगतान करना।

उपप्रबन्धक / उपसचिव:-

प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों का करना एवं उपस्थिति में कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

श्री उदल सिंह शिक्षा समिति
38 गांधी नगर फिरोजाबाद

प्रबन्धक / सचिव
श्री उदल सिंह बहाविद्यालय
फासफावड, फिरोजाबाद

संस्था के अंग :-

१. साधारण सभा -

- साधारण सभा
- प्रबन्धकारिणी समिति ।

गठन -

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठक -

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

सूचना अवधि -

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के $\frac{2}{3}$ बहुमत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के $\frac{2}{3}$ बहुमत से तय कर ली जावेगी।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य -

- प्रबन्धकारिणी समिति का समय समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।
- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन $\frac{2}{3}$ बहुमत से करना।
- संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना।

२. प्रबन्धकारिणी समिति -

गठन - प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के $\frac{2}{3}$ बहुमत से सेंदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव एक कोषाध्यक्ष तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई - बढ़ाई जा सकती है। जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी।

बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

सूचना अवधि - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के $\frac{2}{3}$ बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

रिक्त स्थान की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक रथान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के $\frac{2}{3}$ बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए कर ली जावेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :-

- संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना।
- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन $\frac{2}{3}$ बहुमत से करना।
- $\frac{2}{3}$ बहुमत से करना।

पर

सम्पत्ति

उदल

श्री उदल सिंह शिक्षा समिति
38 गाँधी नगर फिरोजाबाद

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों / मंत्रालयों, एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, एवं बैंक आदि से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं चैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।
5. कार्यकाल - प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य -

1. अध्यक्ष -

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
2. मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णयक मत देना।
3. संस्था के की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना।

उपाध्यक्ष:-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप में सौंपे गये स्वीकृत कार्यों को करना, सामान्य व विश्व परिस्थितियों में उनका सहयोग करना।

प्रबन्धक / सचिव -

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राधार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना।
2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व कार्यक्रमों का पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से संचालन व प्रशार-प्रसार करना।
3. संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना।
4. संस्था की आम चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान, अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना।
5. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
6. संस्था के अन्तर्गत संधालित संस्थानों, चिकित्सालयों, विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, एवं पदच्युत करना तथा उनकी संख्या शर्त के नियम बनाना, वैतन भत्ते तथा तय करना व उसका भुगतान करना।

उपप्रबन्धक / उपसचिव:-

प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों के करना एवं उपस्थिति में कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

श्री उदल सिंह शिक्षा समिति
38 गांधी नगर फिरोजाबाद

प्रबन्धक / सचिव
श्री उदल सिंह बहाविद्यालय
फासफावड, फिरोजाबाद